कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

क्रमांक 8752 /स्था./राज./एम.सी./2022 रीवा, दिनांक 12/4/22

//विज्ञप्ति//

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में **सीनियर रेसीडेन्ट/जूनियर रेसीडेन्ट** की भर्ती हेतु प्रत्येक बुधवार को वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निर्धारित है, जिसके लिये सोमवार तक आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य है। अवकाश की स्थिति में आवेदन मंगलवार सायं 05:00 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। आगामी साक्षात्कार हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार रिक्तियों की पूर्ति हेतु विचार किया जावेगा। पूर्व विज्ञापन की शर्तें यथावत रहेगी :-

दिनांक 12.04.2022 की स्थिति में

1. **सीनियर रेसीडेंट, मासिक स्टायपेंड रु. 76,000/- प्रतिमाह**

क्र.	विभाग का नाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	अपिव	अजजा	अजा
1.	एनेस्थेसिया	02	01	00	01	00
2.	रेडियोडायग्नोसिस	01	00	01	00	00
3.	रेस्पिरेट्री मेडिसिन	01	01	00	00	00
4.	डर्मेटोलॉजी	01	01	00	00	00
5.	मेडिसिन	01	01	00	00	00
6.	शिशु रोग	02	02	00	00	00
7.	सर्जरी	01	01	00	00	00
	योग	**09**	**07**	**01**	**01**	**00**

2. **जूनियर रेसीडेन्ट, मासिक स्टायपेंड रू. 53,000/- प्रतिमाह**

क्र.	विभाग का नाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	अपिव	अजजा	अजा
1.	अस्थि रोग	03	01	01	01	00
2.	ई.एन.टी.	01	00	01	00	00
3.	चर्मरोग	01	01	00	00	00
4.	टी.व्ही.एण्ड चेस्ट रेस्पेटरी मेडिसिन	03	01	01	01	00
	योग	**08**	**03**	**03**	**02**	**00**

(डॉ. देवेश सारस्वत)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

क्रमशः पेज...2

d:\old computer\senior&junior resident\senior-junior resident advertisement.doc

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :– आवेदन पत्र प्रत्येक सप्ताह के सोमवार के सायं 05.00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। अवकाश की स्थिति में आवेदन मंगलवार सायं 05:00 बजे तक जमा किये जा सकेगे। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते है। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा। किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क लौटाई नहीं जायेगी।

साक्षात्कार प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को अपरान्ह – 12:00 बजे निर्धारित रहेगा। अवकाश की स्थिति में साक्षात्कार अगले सप्ताह आयोजित किया जावेगा।

पदों एवं विषयों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है, जिसकी जानकारी समय–समय पर चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेब साइट **www.ssmcrewa.com** पर उपलब्ध की जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 4–7/2010/1/55 दिनांक 25.08.2010 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातकोत्तर/स्नातक छात्र जिनका चयन क्रमशः सीनियर रेसीडेन्ट/जूनियर के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि वे बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएँ देगें। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बाण्ड की शर्ते लागू हो जाएगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी ।

नोट :–

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रहेगा ।
2. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है तथा 6 प्रतिशत पद विकलांगो हेतु आरक्षित है। महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उसी संवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों से भरी जावेगी।अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते है तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ,अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी सकेगी ।
3. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जायेगा।

शर्ते :–

1. **अवधि** : सीनियर रेसीडेन्ट/जूनियर रेसीडेन्ट की सेवा–अवधि (**Tenure**)तीन वर्ष की होगी । प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी । तत्पश्चात सेवायें सन्तोषजनक पाये जाने पर 01–01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

2. **नियुक्ति का तरीका** : योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी ।

क्रमशः पेज–03

3. **आवेदन शुल्क** : सीनियर रेसीडेन्ट/जूनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ **रू 700/– (सात सौ रूपए)** एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को **रूपये–500/– (पॉच सौ रूपए)** राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट **"मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एवं अधिष्ठाता स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा"** के नाम देय हो प्रस्तुत करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यार्थी को अपना पूरा नाम,पता व विषय तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा । किसी भी अवस्था में राशि लौटायी नहीं जावेगी ।

4. **शैक्षणिक योग्यता सीनियर रेसीडेन्ट :–**

सीनियर रेसीडेन्ट की मूल अर्हता साक्षात्कार के समय एम.सी.आई. के वर्तमान/अद्यतन (Latest) मापदण्ड अनुसार रहेगी। जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले पॉच वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है वे ही इस पद के लिये आवेदन करने के पात्र होगें । सीनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस करने की पात्रता नही होगी । जिन चिकित्सकों ने इसी चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी. एस./एम.डी./एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी ।

5. **शैक्षणिक योग्यता जूनियर रेसिडेन्ट :–**

(क) एम0बी0बी0एस0 पास कर इंटरर्नशिप पूर्ण कर ली हो ।
(ख) उक्त चिकित्सकों की इंटरर्नशिप विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से पिछले तीन वर्ष में पूर्ण हुई हो, इसके पूर्व के चिकित्सक चयन हेतु पात्र नहीं होगें ।
(ग) निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी ।

6. **आयु सीमा – 45 वर्ष से कम।**
7. **यात्रा भत्ता :–** साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा उन्हें स्वंय के व्यय पर यात्रा करना होगा ।

अन्य शर्ते :–

1. इन चिकित्सकों का प्रत्येक वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नही किया जा सकेगा, इन पर रेसीडेन्ट्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त, की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
3. मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा ।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
5. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी ।

क्रमशः पेज– 04

6. यदि आवेदक किसी शासकीय संस्थान में पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन के समय ही नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्यागपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **शासकीय संस्थान में पूर्व में सेवारत/कार्यरत न होने की दशा में इस आशय का स्वहस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।**
7. उम्मीदवार को म0प्र0 राज्य मेडिकल कौसिल भोपाल अथवा मेडिकल कौसिल आफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता द्वारा सीनियर रेसीडेन्ट की विभागों में संख्या कार्य आवश्यकता अनुसार समय–समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा।

साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी ।

12/4/22

(डॉ. देवेश सारस्वत)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र. 8752-58 /स्था./राज./एमसी/2022 रीवा, दिनांक 12/4/22

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल ।
3. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
4. अधिष्ठाता – मेडिकल कॉलेज भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर/सागर/विदिशा/शिवपुरी/शहडोल/दतिया/रतलाम/खण्डवा/छिंदवाड़ा की ओर भेजकर अनुरोध है कि अपने कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर उक्त नोटिस को चस्पा कराने हेतु कष्ट करें।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष।
6. कार्यालय/पी.जी./यू.जी. एवं कन्या छात्रावास नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।

12/4/22

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)